न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

अपील सं. 36/2017

अनवान:–
धूड़ाराम पुत्र जुहारा जाति नायक सा. मल्लडखेडा तह0 टिब्बी।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 300 दिनांक 05.2.13 ।

अपील सं. 37/2017

अनवान:–
धूड़ाराम पुत्र जुहारा जाति नायक सा. मल्लडखेडा तह0 टिब्बी।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 452 दिनांक 18.12.12 ।

अपील सं. 38/2017

अनवान:–
धूड़ाराम पुत्र जुहारा जाति नायक सा. मल्लडखेडा तह0 टिब्बी।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 398 दिनांक 05.02.13 ।

उपस्थित:– 1 श्री मनोज अरोड़ा अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक: –27.04.2018

अपीलान्ट द्वारा उक्त तीनों अपीलें एक ही विषय वस्तु के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक वाद अर्न्तगत धारा 88 आरटीए चक 1 एनजीआर, चक 10 एमकेएस'ए' व चक 8 एमकेएस का पेश किया गया जिसमें राजीनामा दिनांक 4.10.12 को हो जाने से निर्णय कर वाद वादी डिक्री किया गया। उक्त निर्णय की इजराय पेश की गयी। जिस पर तहसीलदार टिब्बी द्वारा इन्तकाल दर्ज कर अपीलांट का 4/9 हिस्सा जो पूर्व में दर्ज था उसको कम करके 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित आदेश

कमांक 1296 दिनांक 10.10.12 व 1342 दिनांक 30.10.12 व तहसीलदार टिब्बी ने पत्रांक 2442 दिनांक 31.10.12 जारी किये गये परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के संशोधित आदेशों को न मानकर पूर्ववर्ती आदेश बहाल रखा जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर संशोधित आदेशों की पालना में पुनः इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की गयी । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया। चूंकि तीनों अपीलों की विषयवस्तु एक ही प्रकार की होने से इन तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया गया जा रहा है।

अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल गलत दर्ज किये गये है। जो निरस्त योग्य है और सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा जारी संशोधित आदेश कमांक 1298 दिनांक 10.10.12 व कमरंक 1342 दिनांक 30.10.12 के अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन इन्तकाल विधिवत तरीके से दर्ज किये गये हैं इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत इन्तकाल उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 04.10.12 जिसकी इजराय उन्होनें अपने पत्राक 1292 दिनांक 5.10.12 द्वारा तहसीलदार टिब्बी को भेजी उसके कम में दर्ज किये गये हैं परन्तु इस पत्रांक के बाद उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा संशोधित पत्रांक 1298 दिनांक 10.10.12 व 1342 दिनांक 30.10.12 जारी किये उनके अनुसार प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज नहीं किये गये हैं। ऐसी दशा में उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा जारी संशोधित आदेशों के कम में इन्तकाल दर्ज किये जाने चाहिए थे जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये गये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के इन्तकाल सं. 300 दिनांक 05.2.13 चक 1 एनजीआर , इन्तकाल सं. 452 दिनांक 18.12.12 चक 10 एमकेएस ए व इन्तकाल सं. 398 दिनांक 05.02.13 चक 8 एमकेएस निरस्त किये जाते हैं। साथ ही प्रकरण तहसीलदार टिब्ब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा जारी संशोधित पत्रांक 1298 दिनांक 10.10.12 व 1342 दिनांक 30.10.12 के परिपेक्ष्य में पुनः विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज किये जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़